

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता रा0प्र0सा0 एवं ज.सा. बांध वृत कोटा

क्रमांक:-निविदा-03/2021-22/2048-71

दिनांक: 25/10/2021

संशोधन संख्या-1 (ई-निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2021-22)

इस कार्यालय की ई-निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2021-22 के कार्य River Bank Protection at Pholali Lift Irrigation Scheme में निम्न संशोधन किया जाता है :-

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1906-1925 दिनांक 11.10.2021 द्वारा निविदा सूचना संख्या 03/2021-22 रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क एट फौलाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कार्य की निविदा राशि रु. 343.77 लाख की आमंत्रित की गई थी। निविदा के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि 12.10.2021 प्रातः 9:30 बजे से दिनांक 02.11.2021 को सांय 6:00 बजे तक थी, एवं तकनीकी बिड दिनांक 03.11.2021 को दोपहर 3:00 बजे खोला जाना निर्धारित था।

अब निविदा प्रपत्र दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 09.11.2021 तक सांय 6:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी। निविदादाता द्वारा बिड के साथ ई-प्रोक (e-Proc) साईट पर अपलोड कराये गये प्रपत्र जैसे निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी के ई-ग्रास चालान, पंजीयन, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, पेन कार्ड इत्यादि कार्यालय अधिशाही अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बून्दी अथवा इस कार्यालय में दिनांक 10.11.2021 दोपहर 12:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 10.11.2021 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।

अन्य निविदा संशोधन निम्नानुसार है :-

पूर्व में अंकित	संशोधन जो पदा जाना है।
<p>निविदा के बिन्दु संख्या-8 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक :F2(99)AS/L/Cell/15/Cutfile/206-11 दिनांक 11.01.2018 की अनुसार बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 15 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोलीदाता से अन्तर की राशि (15 प्रतिशत दर से जितनी कम है।) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाती है।</p> <p>अतिरिक्त सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित केस माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विद्याराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी अन्तिम निर्णय होगा, वह विभाग व सफल निविदादाता/बोलीदाता पर लागू एवं बाध्यकारी रहेगा।</p>	<p>Finance (G&T) Department के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा जारी "75A Additional Performance Security, (1) In addition to Performance Security as Specified in rule 75, An Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalance bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through e-Grass, Demand Draft, Banker's Cheque, Government Securities of Bank Guarantee.</p> <p>Explanation:- For the purpose of this rule, -</p> <p>(i) Unbalance Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.</p> <p>(ii) Estimate Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.</p> <p>(iii) Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimate Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder.</p> <p>(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor. Provision for 'Unbalanced Bid' and 'Additional Performance Security' shall be mentioned in the Bidding Documents by the Procuring Entity."</p> <p>अतिरिक्त सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित केस माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विद्याराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी अन्तिम निर्णय होगा, वह विभाग व सफल निविदादाता/बोलीदाता पर लागू एवं बाध्यकारी रहेगा।</p>
<p>निविदा के बिन्दु संख्या-5 के स्पष्टीकरण में अंकित Additional Performance Security - 5 करोड़ तक की निविदा होने पर बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 15 प्रतिशत कम से अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोली दाता से अन्तर की राशि (15 प्रतिशत दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति कार्यादेश से पूर्व ली जावेगी। उपरोक्तानुसार कम दर प्रस्तुत करने पर बोलीदाता को अन्तर प्रतिशत (जो शिड्यूल से गुणा कर) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि कार्यादेश से पूर्व जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने पर लौटाई जाएगी। न्यूनतम बोली दाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा, इस पत्र के 7 दिवस में अन्तर राशि जमा करायी जा सकेगी। यदि निर्धारित अवधि में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं जमा करायी जाती है तो 2 प्रतिशत बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी। यदि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर ली जावेगी।</p> <p>अतिरिक्त सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित केस माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विद्याराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी अन्तिम निर्णय होगा, वह विभाग व सफल निविदादाता/बोलीदाता पर लागू एवं बाध्यकारी रहेगा।</p>	

अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

DIPR RO No.-10483

UBN No.- WRD2122WS0801116

(ए.डी.अन्तारी)
अधीक्षण अभियन्ता,
राप्रसा एवं जसा बांध वृत कोटा